

फर्दअहकाम  
नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....  
 युवराज सिंह बनाम 213002  
 मिसल न0 105/1-8-25.....किस्म

तारीख हुक्म	हुग या कार्यवाही मय इनिपियल्सजज	नम्बर व अहकामज तामील मे
18/11/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी युवराज सिंह पुत्र लालसिंह ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी युवराज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह नि0 गैंता नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2075 से 78 मुताबिक खाता सख्या 450 खसरा नबर 1677/950, 1714/921 ,1716/270 में काश्तगार का नाम युवराज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभि.निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम युवराज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह के स्थान पर युवराज सिंह पुत्र लालसिंह दर्ज किया जावे। आज दिनाक 18/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

